# v/;k; 1 & iLrkouk

## 1-1 i"BHkfe

भारत सरकार ने 25 अगस्त 1992 से फॉस्फेट (पी) और पोटाश (के) युक्त उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त किया। नियंत्रणमुक्त होने के पश्चात्, इन उर्वरकों के मूल्यों में यूरिया की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप पीएण्डके उर्वरकों की मांग और खपत में गिरावट दर्ज हुई। इससे, मृदा में पोषक तत्वों नाइट्रोजन (एन), 'पी' और 'के' के प्रयोग में असंतुलन का खतरा उत्पन्न हो गया जिसका कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव होता।

नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने एवं एनपीके पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने (अक्तूबर 1992) नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए एक 'रियायत योजना' प्रारम्भ की। यह योजना, जो कि तदर्थ आधार पर प्रारम्भ की गई थी, में डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मुरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और एनपीके मिश्रित उर्वरकों के 11 ग्रेड सम्मिलित थे। बाद में, 1993–94 के दौरान इस योजना में सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) को सम्मिलित किया गया। पीएण्डके उर्वरकों के लिए रियायत योजना 31 मार्च 2010 तक जारी रही।

'रियायत योजना' का उद्देश्य किसानों को वहनीय मूल्य पर नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरक उपलब्ध कराना तथा उर्वरक क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिलाभ की उचित दर सुनिश्चित करना था। उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का निर्धारण उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (डीओएफ) भारत सरकार द्वारा किया गया था। फार्म गेट[1] स्तर तक उर्वरकों की कुल सुपुर्दगी लागत तथा किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति उत्पादकों/आयातकों को राजसहायता के रूप में की जाती थी।

'रियायत योजना' के कार्यान्वयन के दौरान, डीओएफ ने अनुभव किया कि:

- पिछले दशक अर्थात 2000–01 से 2009–10 में उर्वरक क्षेत्र में कोई निवेश नहीं हुआ।
- 2004 से 2009 के दौरान दी जा रही राजसहायता में 530 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई जिसमें से 90 प्रतिशत उर्वरकों और आदानों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई।
- राजसहायता बिल में वृद्धि के अनुरूप कृषि उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई।

उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए 'रियायत योजना' के स्थान पर (अप्रैल 2010) एक नई योजना 'पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति' आरम्भ की गई।

## 1-2 ih,.Mds moZjdksa dh fdLesa

पीएण्डके उर्वरकों को निम्न समूहों में बांटा गया है :

- **QkLQsV;qDr ¼ih½ moZjd**–इस समूह के प्रमुख उर्वरक डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मोनो–अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी) और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) हैं।

---

[1] वह मूल्य (कर सहित) जिस पर उर्वरक अन्तिम उपभोक्ता अर्थात किसान को उपलब्ध है।

- **ikVk'k;qDr ¼d½ moZjd** – मुरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) प्रमुख पोटाशयुक्त उर्वरक है।
- **fefJr vkSj vU; moZjd** – इसमें मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेड (जो कि एनपीके मिश्रण कहलाते हैं) जो सभी तीनों पोषक तत्व अलग–अलग अनुपातों में (जैसे कि 15–15–15, 17–17–17, 14–28–28, 12–32–16[2] आदि) प्रदान करते हैं, के साथ–साथ अन्य उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट (एएस), नाइट्रो फॉस्फेट आदि सम्मिलित हैं।

## 1-3 iks"kd rRo vk/kkfjr jktlgk;rk ¼,uch,l½ uhfr

उर्वरक क्षेत्र में एनबीएस नीति को लाने का सरकार का आशय वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2009 के अपने बजट भाषण में घोषित किया गया था, जो कि निम्नानुसार है :

''राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, देश में बढ़ते उर्वरक उपयोग के बावजूद कृषि उत्पादकता का घटता रूझान एक चिंता का विषय है। उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार मौजूदा उत्पाद मूल्य–निर्धारण व्यवस्था की बजाए पोषक तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था को अपनाना चाहती है। इससे बाजार में उचित मूल्य पर नए उर्वरक उत्पाद उपलब्ध होंगे। उर्वरक उत्पाद क्षेत्र की इस स्थिरता से इस क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित होने की संभावना है। यथावधि में किसानों के लिए राजसहायता की प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली अपनाने का भी विचार है।''

प्रस्तावित एनबीएस नीति पर विचार करने और इसके संबंध में सरकार को उचित अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन (जुलाई 2009) किया गया। जीओएम ने 20 जनवरी 2010 को हुई अपनी प्रथम बैठक में एनबीएस नीति पर विचार किया और उस समय विद्यमान उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित अनुशंसाएं प्रस्तुत कीः

- प्रस्तावित एनबीएस नीति के प्रथम चरण को 1 अप्रैल 2010 से कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रथम चरण के दौरान पोषक तत्व आधारित राजसहायता उद्योग के माध्यम से जारी की जानी चाहिए।
- सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जाना चाहिए। 'एन', 'पी', 'के' और 'एस' के संबंध में राजसहायता आईएमसी द्वारा प्रस्तावित की जानी चाहिए और इस संबंध में निर्णय के लिए विभिन्न परिदृश्यों को सीसीईए के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

डीओएफ द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि, उर्वरकों के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास और राजसहायता बिल को सीमित करने संबंधी मुद्दों पर विचार करते हुए, 1 अप्रैल 2010 से एक नई नीति ''पोषक तत्व आधारित राजसहायता'' प्रारम्भ की गई।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं:

i. पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को नियंत्रणमुक्त रखा जाएगा और उत्पादकों/आयातकों/विपणनकर्ताओं को पीएण्डके उर्वरकों की एमआरपी को तार्किक स्तर पर नियत करने की अनुमति होगी।

ii. प्रत्येक पोषक तत्व नामतः 'एन', 'पी', 'के' और 'सल्फर' (एस) पर किए जाने वाले एनबीएस के भुगतान का निर्धारण (प्रतिकिलो) भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाएगा। इस

[2] यह आंकड़े एन–पी–के का अनुपात दर्शाते हैं।

प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषक तत्व आधारित राजसहायता को प्रत्येक राजसहायता प्राप्त उर्वरक के लिए प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित किया जाएगा।

iii. टैरिफ कमीशन की निर्णायक अनुशंसा के अधीन नैफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया का प्रयोग करने वाले मिश्रित उर्वरक के स्वदेशी उत्पादकों को 'एन' के उत्पादन की उच्च दरों की क्षतिपूर्ति के लिए डीओएफ अलग से/अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करेगा। यह क्षतिपूर्ति दो वर्षों की अवधि (1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012) के लिए स्वीकृत थी जिसके दौरान उत्पादक इकाइयों को गैस में बदलना होगा या आयातित अमोनिया का प्रयोग करना होगा।

iv. डीएपी, एमओपी, एमएपी, टीएसपी, मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेड और अमोनियम सल्फेट (एएस) पर एनबीएस[3] लागू होगा।

एनबीएस नीति के आगमन के साथ ही एक अंतर मंत्रालयी कमेटी (आईएमसी) गठित की गई जिसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव (उर्वरक) और कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), व्यय विभाग (डीओई), योजना आयोग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के संयुक्त सचिव स्तरीय प्रतिनिधि शामिल थे। आईएमसी, डीओएफ द्वारा निर्णय के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ होने से पहले 'एन', 'पी', 'के' एवं 'एस' के लिए प्रति पोषक तत्व राजसहायता की अनुशंसा करता है। आईएमसी सुदृढ़ीकृत राजसहायता प्राप्त उर्वरकों में द्वित्तीयक ('एस' के अतिरिक्त) एवं सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति टन की अतिरिक्त राजसहायता की भी अनुशंसा करता है। यह राजसहायता व्यवस्था के अन्तर्गत निर्माताओं/आयातकों के आवेदन तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की आवश्यकता के अनुसार नए उर्वरकों को सम्मिलित करने हेतु विचार एवं अनुशंसा करती है जिस पर डीओएफ द्वारा निर्णय लिया जाता है।

एनबीएस नीति में शामिल उर्वरकों की एक सूची vuqyXud I में दी गई है।

## 1-4 ,uch,l uhfr ds vUrxZr nh xbZ jkt lgk;rk ds izdkj

### ,½ moZjd jkt lgk;rk

यह वह राजसहायता है जिसे राजसहायता प्राप्त एमआरपी के रूप में किसानों को दिया जाता है, जो फार्म गेट स्तर पर इन उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत की तुलना में कम है। एनबीएस नीति के अधीन प्रासंगिक घटकों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, विनिमय दर, इनवेंटरी स्तर और पीएण्डके उर्वरकों की वर्तमान अधिकतम खुदरा कीमतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों के प्रत्येक पोषक तत्व पर राजसहायता की दर (₹ प्रति किलो के अनुसार) निर्धारित की है। एनबीएस नीति के अधीन शामिल विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों पर प्रति किलोग्राम राजसहायता दरों को प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित कर दिया जाता है। एनबीएस की गणना का उदाहरण vuqyXud II में दिया गया है।

### ch½ vfrfjDr jkt lgk;rk

- अतिरिक्त राजसहायता दो वर्ष की अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 तक के लिए 'एन' के उत्पादन की उच्च कीमत की प्रतिपूर्ति के लिए नैफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया का प्रयोग करते हुए मिश्रित उर्वरक का उत्पादन करने वाले स्वदेशी निर्माताओं [(नामतः उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), मद्रास उर्वरक लिमिटेड (एमएफएल) और गुजरात

[3] गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (जीएसएफसी) और उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) द्वारा उत्पादित कैप्रोलेक्टम ग्रेड

नर्मदा वैली उर्वरक कम्पनी लिमिटेड (जीएनएफसी)] को दी गई थी। इस अवधि के दौरान, इन इकाइयों से अपेक्षा की गई कि वे गैस आधारित उत्पादन में परिवर्तित हों अथवा आयातित अमोनिया का उपयोग करें।

हालांकि केवल एफएसीटी अपने फीडस्टॉक को गैस में परिवर्तित कर सका है और एमएफएल व जीएनएफसी का परिवर्तित होना शेष है (नवंबर 2014)।

- प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ बोरोन और जिंक जैसे द्वितीयक और सूक्ष्म–पोषक तत्व ('एस' के अलावा) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रति टन राजसहायता प्राप्त कर सकते हैं। एनबीएस नीति के अधीन शामिल पीएण्डके उर्वरकों का कोई भी रूपान्तर जिसे द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों (सल्फर के अलावा) के साथ आवृत/सुदृढ़ीकृत किया गया है वह भी, इस प्रकार से राजसहायता के पात्र होंगे।

## lh½ ekyHkkMk jkt lgk;rk

- **ikFkfed ekyHkkMk jkt lgk;rk**

  रेल द्वारा पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) की प्राथमिक गतिविधि[4] हेतु मालभाड़े का भुगतान रेल रसीदों के वास्तविक आधार के अनुसार दिया जाएगा। पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) की सीधी सड़क गतिविधि के कारण मालभाड़े की प्रतिपूर्ति का भुगतान सामयिक/वास्तविक के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि वह समतुल्य रेलभाड़े से अधिक न हो। सीधी सड़क गतिविधि (डायरेक्ट रोड़ मूवमेंट) के अधीन अधिकतम स्वीकृत दूरी 500 कि.मी.[5] होगी।

- **f}rh;d ekyHkkMk jkt lgk;rk**

  प्रारम्भतः डीओएफ ने सभी पीएण्डके उर्वरकों की द्वितीयक गतिविधि[6] के लिए भी वाहन शुल्क प्रदान किया। 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 से आगे के नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस नीति के अधीन स्वीकृत द्वितीयक मालभाड़ा का विवरण निम्नानुसार हैः–

**rkfydk 1 % f}rh;d ekyHkkMk jkt lgk;rk ls lcaf/kr e[; ?kVuk,**

| vof/k | uhfr |
|---|---|
| 1 vizSy 2010 ls 31 fnlacj 2010 | ₹104 से ₹339 प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) तक का द्वितीयक मालभाड़ा विभिन्न पीएण्डके उर्वरकों की एनबीएस दरों में सम्मिलित था। |
| 1 tuojh 2011 ls 31 ekpZ 2012 | पीएण्डके उर्वरकों (एसएसपी के अलावा) के लिए द्वितीयक मालभाड़े को यूरिया के लिए लागू एक समान मालभाड़ा राजसहायता (यूएफएस) नीति[7] के समान दिया गया। एसएसपी के लिए ₹200 पीएमटी का एकमुश्त मालभाड़ा दिया गया[8]। |
| 1 vizSy 2012 ls vkxs | सभी पीएण्डके उर्वरकों के लिए द्वितीयक मालभाड़े को समाप्त कर दिया गया[9]। |

[4] संयंत्र अथवा बन्दरगाह से विभिन्न रेक प्वाइंटों तक रेल द्वारा गतिविधि

[5] 1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान इसे 700 किमी तक बढ़ा दिया गया था

[6] निकटतम रेक प्वाइंटों से जिले के ब्लॉक मुख्यालय तक सड़क द्वारा गतिविधि

[7] जुलाई 2008 में डीओएफ द्वारा अधिसूचित किया गया।

[8] एकमुश्त द्वितीयक मालभाड़ा राजसहायता केवल आठ महीनों के लिए दी गई (जनवरी–अगस्त 2011)

[9] मार्च 2012 में डीओएफ द्वारा अधिसूचित किया गया।

## 1-5 moZjd fuxjkuh iz.kkyh ¼,Q,e,l½

उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस), जो एक आईटी प्रणाली है, को डीओएफ द्वारा जनवरी 2007 में अलग–अलग उर्वरकों के विभिन्न चरणों पर उनकी मूल्य श्रृंखला में गतिविधि की निगरानी के लिए प्रांरभ किया गया। यूरिया तथा पीएण्डके उर्वरकों (स्वदेशी व आयातित) जिसमें एसएसपी सम्मिलित है, के उत्पादन, प्रेषण और विक्रय की निगरानी इससे अपेक्षित थी। एफएमएस को प्रसंस्करण समय कम करके और यूरिया तथा एसएसपी सहित पीएण्डके उर्वरकों के राजसहायता/रियायत भुगतानों (प्राप्ति के आधार पर) के प्रसंस्करण को भी सुसाध्य बनाना था।

## 1-6 jkt lgk;rk Hkqxrku

डीओएफ ने नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों को उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक कम्पनियों को एनबीएस नीति के अधीन 2010–11 से 2013–14 की अवधि के दौरान ₹137611 करोड़ की कुल राजसहायता का भुगतान किया। कम्पनी–वार राजसहायता का भुगतान तालिका 2 में दिया गया है :

### rkfydk 2 % fu;=.keqDr ih,.Mds moZjdksa ij jkt lgk;rk ds iksLrdÙkk

¼₹ djksM+ esa½

| Øe la- | vk;krd@fuekZrk | o"kZ&okj nh xbZ jkt lgk;rk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010&11 | 2011&12 | 2012&13 | 2013&14 | dqy |
| vk;krd | | | | | | |
| 1. | इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली (निजी) | 9929 | 7688 | 5039 | 5319 | 27975 |
| 2. | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–ओपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, (सहकारिता) | 2962 | 2105 | 1999 | 342 | 7408 |
| 3. | ज़ुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा (निजी) | 1706 | 1396 | 1143 | 1087 | 5332 |
| 4. | चंबल फर्टिलाइज़र एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली (निजी) | 835 | 781 | 855 | 1317 | 3788 |
| 5. | नागार्जुना फर्टिलाइज़र्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी) | 383 | 814 | 810 | 876 | 2883 |
| 6. | मोजैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा (निजी) | 904 | 734 | 339 | 625 | 2602 |
| 7. | टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल), नोएडा, उत्तर प्रदेश (निजी) | 796 | 533 | 582 | 591 | 2502 |
| 8. | राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र (सरकारी) | 608 | 264 | 625 | 363 | 1860 |
| 9. | कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, सिंकदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी) | 439 | 536 | 487 | 553 | 2015 |
| 10. | कृषक भारती को–ओपरेटिव लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश (सहकारिता) | 640 | 371 | 534 | 387 | 1932 |
| 11. | अन्य आयातक[10] | 1648 | 943 | 2163 | 2467 | 7221 |
| dqy vk;krd | | 20850 | 16165 | 14576 | 13927 | 65518 |

[10] दीपक फर्टिलाइज़र्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, फर्टिलाइज़र्स एवं कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, नैशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, पाराद्वीप फॉस्फेट लिमिटेड आदि

| Øe l- | vk;krd@fuekZrk | o"kZ&okj nh xbZ jkT; lgk;rk | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010&11 | 2011&12 | 2012&13 | 2013&14 | dqy |
| | fuekZrk | | | | | |
| **1.** | इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–ओपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली (सहकारिता) | 5935 | 5968 | 4490 | 4975 | 21368 |
| **2.** | कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश (निजी) | 3978 | 3270 | 2555 | 2547 | 12350 |
| **3.** | पाराद्वीप फॉस्फेटस लिमिटेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा (निजी) | 1861 | 1345 | 1218 | 1279 | 5703 |
| **4.** | गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, वड़ोदरा, गुजरात (सरकारी) | 1943 | 1419 | 753 | 1215 | 5330 |
| **5.** | फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचिन, केरल (सरकारी) | 1185 | 1085 | 826 | 761 | 3857 |
| **6.** | जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुडगांव, हरियाणा (निजी) | 1191 | 869 | 592 | 433 | 3085 |
| **7.** | टाटा कैमिकल्स लिमिटेड (एचएलएल), नोएडा, उत्तर प्रदेश (निजी) | 1024 | 994 | 598 | 814 | 3430 |
| **8.** | राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र (सरकारी) | 717 | 625 | 706 | 560 | 2608 |
| **9.** | गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र्स कम्पनी लिमिटेड, भडूच, गुजरात (सरकारी) | 180 | 248 | 199 | 197 | 824 |
| **10** | अन्य निर्माता[11] | 2636 | 4120 | 4063 | 2719 | 13538 |
| dqy fuekZrk | | 20650 | 19943 | 16000 | 15500 | 72093 |
| dqy | | **41500** | **36108** | **30576** | **29427** | **137611** |

[11] दीपक फर्टिलाइज़र्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स कोरपोरेशन लिमिटेड, गोदावरी फर्टिलाइज़र्स एवं कैमिकल्स लिमिटेड, ग्रीन स्टार फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैगंलोर कैमिकल्स एवं फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड आदि